**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**लोक सभा**

**19.03.2025 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3199 का उत्तर**

**दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराये में राजसहायता**

**3199. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुर:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

**(क) क्या रेलवे के पास दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराये में पूर्व में दी जा रही राजसहायता पुनः बहाल करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;**

**(ख) दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए निचली बर्थ आरक्षित न करने के पीछे क्या कारण हैं;**

**(ग) क्या इसे लागू करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(घ) देश के उन राज्यों का ब्यौरा क्या है, जहां बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है;**

**(ङ) क्या निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में बुलेट ट्रेन चलाए जाने की कोई योजना है और यदि हां, तो इसके प्रचालन का अनुमानित समय क्या है; और**

**(च) लखीमपुर खीरी से बुलेट ट्रेन कब तक चलाए जाने की संभावना है?**

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

**(क): भारतीय रेल समाज के सभी वर्गों को किफायती सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास करती है और वर्ष 2022-23 में यात्री टिकटों पर 56,993 करोड़ रूपए की रियायत दी। यह रेलवे में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को औसतन 46% की रियायत है। दूसरे शब्दों में आसान समझ के लिए, यदि सेवा प्रदान करने की लागत 100 रूपए है, तो टिकट की कीमत केवल 54 रूपए है।**

**यह रियायत सभी यात्रियों के लिए जारी है। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों की 4 कोटियां (दिव्यांगजन), रोगियों की 11 कोटियों और छात्रों की 8 कोटियों जैसी कई कोटियों के लिए इस सब्सिडी राशि से अलग रियायतें जारी हैं।**

**(ख) और (ग): दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को निचली बर्थ की सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:**

i. **वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों को, सीटों की उपलब्धता होने पर स्वतः निचली बर्थ का आवंटन, भले ही कोई विकल्प न दिया गया हो।**

ii. **वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी के प्रत्येक सवारी डिब्बे में छह से सात निचली बर्थ, वातानुकूलित 3 टियर के प्रत्येक सवारी डिब्बे में चार से पांच निचली बर्थ और वातानुकूलित 2 टियर श्रेणियों के प्रत्येक सवारी डिब्बे में तीन से चार निचली बर्थ (रेलगाड़ी में उस श्रेणी के डिब्बों की संख्या के आधार पर) का संयुक्त कोटा चिह्नित करना।**

iii. **दिव्यांगजनों को राजधानी/शताब्दी प्रकार की सवारी गाड़ियों सहित सभी पैसेंजर/एक्सप्रेस सवारी गाड़ियों में शयनयान श्रेणी में चार बर्थ (दो निचली बर्थ सहित) और 3एसी/3ई में चार बर्थ (दो निचली बर्थ सहित) और आरक्षित सेकंड सिटिंग/वातानुकूलित कुर्सीयान में चार सीटों का आरक्षण कोटा निर्धारित करना, भले ही रियायत सुविधा उपलब्ध हो या नहीं।**

iv. **गाड़ी में खाली पड़ी निचली बर्थ को वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों या गर्भवती महिलाओं (जिन्हें मध्य/ऊपरी बर्थ आवंटित किया गया है) को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करना।**

**(घ) से (च): मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना भारत में हाई स्पीड रेल की एकमात्र स्वीकृत परियोजना है जो जापान सरकार की तकनीकी एवं वित्तीय सहायता से निष्पादित की जा रही हैं।**

*******